

dk; kly; ifyl v/khfk d tuin xks Mk fnukd 17-11-2022

'kkfrHkx dh vk' kadk ds eisutj ifyl }kjk dh x; h dk; bkgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

08 okj\h vfHk; jã fxj rkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना मोतीगंज पुलिस ने 02, थाना कौडिया पुलिस ने 02, थाना मनकापुर पुलिस ने 02, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

l jkguh; dk; l  
cs ukv  
ehfM; k l sy] tuin xks Mk  
fnukd 17-11-2022

ngst gR; k ds 02 vkjksi h vfHk; iä fxj rkrkj &

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खोडारे पुलिस ने मु0अ0सं0-201/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3ध4 डी0पी0 ऐक्ट एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. वकीउल्लाह 02. सालहा खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हत्या किया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खोडारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj rkrkj vfHk; iäx. k%&

01. वकीउल्लाह पुत्र अब्दुल हसन निवासी ग्राम मगहरिया महाराजगंज ग्रन्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा।
02. सालहा खातून पत्नी अब्दुल हसन निवासी ग्राम मगहरिया महाराजगंज ग्रन्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

i athkr vfHk; ksx&

01. मु0अ0सं0-201/22, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट एक्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा।

fxj rkrkj drk%&

उ0नि0 प्रेमानन्द मय टीम

l jkguh; dk; l  
cs ukv  
ehfM; k l sy] tuin xks Mk  
fnukd 17-11-2022

Fkkuk bfV; kFkksd {ks= ds vUrx]r gDZ gR; k dk [kqkl k] 03 vkjksi h vfHk; iä fxj¶rkj&  
पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में थाना इटियाथोक पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने मु0अ0सं0-461/22, धारा 302 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. आज़ाराम कश्यप 02. मुकेश उर्फ बबलू 03. वन्दना को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगण द्वारा उमाशंकर की हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया था। पूछताछ में ज्ञात हुआ की मृतक उमाशंकर का वन्दना के साथ प्रेम प्रसंग था जिसकी जानकारी वन्दना के घर वालों को हो गया था। जिससे छुब्ध होकर आज़ाराम ने अपने दामाद बबलू व वन्दना के साथ मिलकर उमाशंकर की हत्या करने की योजना बनाकर उक्त घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk; iäx. k%&

1. आज़ाराम कश्यप पुत्र दयाराम कश्यप निवासी बेलवा कर्मडीह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
2. मुकेश उर्फ बबलू पुत्र पूरन कश्यप निवासी इटियाथोक पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा
3. वन्दना पुत्री आज़ाराम कश्यप निवासी बेलवा कर्मडीह थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

i athkr vfHk; ksx%&

01. मु0अ0सं 0461/22 धारा 302 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक, गोण्डा।

fxj¶rkj drkZ Vhe%&

1. प्रभारी निरीक्षक करुणाकर पाण्डेय मय टीम।